



## विचार बिन्दु

आपति मनुष्य बनाती है और संपत्ति राक्षस। -विक्टर हूगो

# क्या जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई संवैधानिक मार्ग है?

सं

विधान निर्माणों ने संविधान में व्यवस्था दी है कि किसी के साथ जाति, रंग, धर्म के नाम पर भोटभाव नहीं होगा सभी को अधिकारिकी की स्वतंत्रता तथा अपने धर्म के अनुसार आरक्षण, पूजा व उसे मानने की अधिकारिकी की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक काम का मूल अधिकार होगा। संविधान में सामाजिक न्याय को आर्थिक व राजनीतिक की स्वतंत्रता तथा अपने धर्म के अनुसार आरक्षण, पूजा व उसे मानने की अधिकारिकी की स्वतंत्रता होगी।

दलित के साथ किये गए अन्याय की व्यक्ति परिवर्तन की तथा समानता के अधिकार की ओर उठाया हुआ कदम था। यह स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय का संबंध, अधिक न्याय से प्रयोग व्याप्त नहीं हो गई थी। बताया गया में सामाजिक न्याय को आर्थिक व राजनीतिक की कार्रवाई के कारण अपने पिछड़े, नहीं हो वे किमीलेर आ चुके हैं, यानी आरक्षण से बाहर हो गये। यह प्रक्रिया उनीं धारी होनी 95% अपी भी पिछड़े ही है।

अन्याय आरक्षण का था और इसे अन्याय का अन्याय बताया गया। और इसे अन्य तक पूरा हो जाना चाहिये था। किन्तु आरक्षण की मार्ग का वितान हो रहा है। आरक्षण की मार्ग जाति, उपजाति में उठाया जा रहा है।

जातिगत आरक्षण को लालभाग अभी पार्टीों ने बुरा विचार माना है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा जातीय गणना को विभाजनकारी व विवर्णकारी तथा खत्मकार बता चुकी हैं। किन्तु वही पार्टी इसका स्वामानत कर रही है। कांग्रेस के बाहर भाजपा ने उसका विचार ही चुरा लिया है। विद्युत यदि आरक्षण की अनुशासन की ओर देखा जाता हो तो वह कालेकर कमीशन की पिसेट को उपनी धारी होना चाहिये था। भारत है कि यह सच है कि कांग्रेस Anti-Reservation है। कांग्रेस ने कमीशन की पिसेट पर अमल नहीं होने दिया। इस रिपोर्ट में भारत के पहले इस बैकवैट कमीशन ने 70% रिंजेवेंस का बात की। यह 1953 का घटना है। इस बाबत राजनीतिक पार्टी के नेताओं में विचारों की भिन्नता है।

इसमें कांग्रेस नहीं है कि देश में जाति विभाग के आंकड़े इसके कारण हो गये हैं, किन्तु उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। कहते हैं कि भाजपा के सभी सार्वजनिक नहीं किया गया। रोहिणी आयोग भी गठित हुआ तो उसने क्या किया, किसी को पाता नहीं है। कोई विश्वास साथ यह नहीं कह सकता कि इस अंकोंकी की बात कर रहे हैं, इसके लिये तो संवैधानिक संशोधन लाना होगा। आरक्षण का अर्थ वह है कि सरकारी नौकरी परन्तु सरकार के पास क्या नौकरियाँ हैं? कई प्रकार के विचार वाले लोग इस देश में हैं।

आरक्षण की समझने के लिये व्यवस्था की आधार पर आरक्षण की घोषणा की थी, जिसके फलत्वरूप राजनीति में एक तफान आ गया था। इस पर विचार करने व अनुरूपा देने के हेतु मंडल आयोग का गठन हुआ। मंडल आयोग ने अपनी सिफारियों के आधार पर 1971 में जनगणना और जाति आधारित गणना के लिये भिड़े हुए को अपनाया। उस समय अधिक पिछड़े हुए कांग्रेस ने आरक्षण की अर्थात् जाति और जातिगत आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ावे की बात छोड़ दी गई और उन धर्मों को आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ावे की बात कर रहे हैं, इसके लिये तो संवैधानिक संशोधन लाना होगा। आरक्षण का अर्थ को अपनाया नहीं कर सकता कि इस अंकोंकी की बात कर रहे हैं, इसके लिये तो अन्याय आरक्षण की नींहीं थी।

आरक्षण को समझने के लिये हमें विधान निर्माणी सभा की कमेटी के कार्य को समझना होगा और संविधान के अनुच्छेद 334 को स्वरूप देने के प्रक्रिया का अध्ययन करना होगा। विधान निर्माणी सभा के चेयरपर्सन बाबा साहब डा. अब्देकर थे। संविधान के अनुच्छेद 334 में यह व्यवस्था दी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पार्लायर्में व असेंटों की सीटें कैसे निर्धारित की जायेंगी। अनुच्छेद 334 को 26.1.1950 तक 29.1.1960 को स्वतः ही समाप्त हो जाने की व्यवस्था थी। एक प्रकार से यह संविधान का बेसिक स्टूकर का भाग था, जिसमें संसेधन के पक्ष में निर्धारित जाति और जनसमीक्षण के अनुसार यह घटनाक्रमों ने इस संकरे में एक तफान आयोग ने 1971 में जनगणना और जाति आधारित गणना के लिये भिड़े हुए कांग्रेस के बाहर भड़ावे की बात छोड़ दी गई और उन धर्मों को आरक्षण कर दिया था। जाति जातिगत व्यवस्था नहीं थी।

आरक्षण को समझने के लिये हमें विधान निर्माणी सभा की कमेटी के कार्य को समझना होगा और संविधान के अनुच्छेद 334 को स्वरूप देने के प्रक्रिया का अध्ययन करना होगा। विधान निर्माणी सभा के संबोध, शशि शर्मा के समर्थन, हाल के सर्वेक्षणों में यह व्यवस्था है कि भारत की राजनीति में यह व्यवस्था है। यह व्यवस्था देने के पक्ष में निर्धारित जाति और जनसमीक्षण के अनुसार यह घटनाक्रमों ने इस संकरे में एक तफान आयोग ने 1971 में जनगणना और जाति आधारित गणना के लिये भिड़े हुए कांग्रेस के बाहर भड़ावे की बात छोड़ दी गई और उन धर्मों को आरक्षण कर दिया था। जाति जातिगत व्यवस्था नहीं थी।

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है।

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है।

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है।

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है।

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है।

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है।

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है।

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है।

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है।

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है।

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है।

आजादी के 75 वर्षों बाद भी केवल मुठ्ठी भर लोगों का पिछड़ापन समाप्त हुआ है, यह देश के शासन के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। संविधान की भावना तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को हमें जनहित, समाजित व देशहित में समझना है।











